

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 अगस्त 2022—श्रावण 11, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. पी.एच.एफ.डब्ल्यू.-0049-2022-1-सत्रह

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(क) सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या ऐसा अधिकारी जिसे इस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति है,;
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, स्वास्थ्य, सेवायें मध्यप्रदेश,
(घ) "समिति" से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/ छानबीन समिति;
(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;
(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

- (ज) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों या इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों तथा आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो.
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न अनुसूची;
- (ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय या ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा;
- (प) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।
3. विस्तार तथा लागू होना – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
4. सेवा का गठन – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
5. सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि –
- (1) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी,
- परन्तु, सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) सेवा का कोई भी सदस्य सेवा की संरचना में किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या सरकार द्वारा संवर्ग में किसी रिक्त पद को भरा नहीं जाने या उसे प्रारथगित रखने की दशा में प्रतिकर का पात्र नहीं होगा।

6. **भर्ती का तरीका** — (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

- (क) सीधी भर्ती द्वारा चयन या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार (ख) [समूह "ख" गैर चिकित्सीय तथा समूह "ग" परिचर्या सेवाये] के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) अनुसूची-चार (क) [समूह "क" चिकित्सा] के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों के चयन द्वारा;
- (घ) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) से खण्ड (घ) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची - दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, उपनियम (1) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) अनुसार भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।
- (4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति** — इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें** — सीधी भर्ती से चयन किये जाने / प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये, अर्थात् :-

- (क) आयु :- न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय, पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अवधारित किया जाए।

- (ख) शैक्षणिक अर्हता :— अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी सेवा/पद के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं होनी चाहिए।
- (ग) फीस :— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/सरकार द्वारा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित फीस का संदाय करना होगा।

9. **निरर्हता —**

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/सरकार द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जाएगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक संतान हों जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि दूसरी संतान जुड़वा न हों।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

- (5) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए अपात्र होगा।
- (6) अन्य कोई, कारण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

10. **पात्रता के संबंध में विनिश्चय —** परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेशके लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और अपात्र पाया गया कोई अभ्यर्थी परीक्षा/साक्षात्कार में भाग नहीं ले सकेगा।

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:—**

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से की जाएगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से निर्धारित करे। परीक्षा, सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी।
- (2) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम 1998 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखे जाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों में से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध)नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित रखे जाएंगे।

- (3) इस प्रकार रिक्त स्थानों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (4) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति में अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी।
- (5) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों/निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के उपबंध हीरोजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।
- (6) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में जारी प्रावधान अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या के दस प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु आरक्षित होंगे।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :-**

- (1) आयोग, इसके द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गयी सूची तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में आए उनके नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये विचार किया जाएगा।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसाकि वह आवश्यक समझे, समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) आयोग द्वारा जारी चयन सूची, जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी तथा जिसे आयोग की सहमति से 6 माह की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

13. **परिबीक्षा :-** सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग / विशेषज्ञ संवर्ग / चिकित्सक संवर्ग के पदों पर कमोन्त वेतनमान द्वारा चयन (नियुक्ति) के लिये पात्रता की शर्तें एवं मापदण्ड :-

- (1) अनुसूची - चार (क) के कॉलम (2) में उल्लिखित धारित पद से कॉलम (3) में उल्लिखित सेवा के पद पर उच्चतर वेतनमान में चयन (नियुक्ति) हेतु वे अधिकारी पात्र होंगे, जिन्हें अनुसूची चार (क) के कॉलम (5) में विहित चयन समिति द्वारा विचारण में लिया गया हो, तथा जिन्होंने चयन वर्ष की एक जनवरी को अनुसूची चार (क) के कॉलम क्रमांक (4) में यथा विहित सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो,

स्पष्टीकरण :- चयन के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:- संबंधित वर्ष की जिसमें विभागीय समिति आहुत की गई है, अर्हकारी सेवा की गणना की जाएगी। एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है। और संवर्ग/सेवा के भाग/ पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो जो उसकी राय में समुचित तथा न्यायसंगत अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) चयन का आधार अनुसूची-चार (क) के कॉलम (4) में उल्लिखित रीति अनुसार होगा, उपरोक्तानुसार चयन सूची आगामी एक वर्ष तक की उद्भूत होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुये बनाई जायेगी। राज्य सरकार द्वारा चयन सूची का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् अनुमोदित चयन सूची में से सेवा के उच्चतर वेतनमानों में पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

(4) चयन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित होंगे :-

- (1) संबंधित अधिकारियों की परीक्षा अवधि पूर्ण होना चाहिए।
- (2) संबंधित अधिकारियों की संनिष्ठा प्रमाणित हो।
- (3) सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जॉच/लोकायुक्त प्रकरण/ई.ओ.डब्लू/ अनाधिकृत अनुपस्थित के प्रकरण विचाराधीन न हों और न ही किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज हो।
- (4) चयन प्रक्रिया दिनांक के पूर्व रोवानिवृत्त/मृत हो चुका हो/त्यागपत्र दे दिया हो, तो ऐसे अधिकारियों को चयन किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

- (5) अनुसूची चार (क) में उल्लिखित प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर चयन हेतु अनुसूची चार (क) के कॉलम क्रमांक (4) में उल्लिखित अवधि के अनुसार विगत वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन के आधार पर समिति द्वारा न्यूनतम अंको का निर्धारण किया जावेगा। वांछित अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने की स्थिति में विगत एक या दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन पर विचार किया जा सकेगा।
- (6) गोपनीय प्रतिवेदनों में स्वीकारकर्ता अधिकारी के मतांकन पर सहमति न बनने की स्थिति में समिति द्वारा पुनः वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन कर 1 अंक बढ़ाने अथवा 1 अंक कम करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
- (7) जिन अधिकारियों के विचारण समय के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हैं उन्हें परिभ्रमण में रखा जा सकेगा।
- (8) यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही / आपराधिक प्रकरण लंबित है, समिति ने उन अधिकारियों के संबंध में उनका अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक प्रकरण की ओर ध्यान न देते हुए बिना किसी भेदभाव के अपनी अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी, जिन्हें उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही / आपराधिक प्रकरण की समाप्ति पर तथा पूर्णतः दोषमुक्त सिद्ध पाये जाने पर खोली जाकर कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी ऐसे अधिकारी को दंडित किया जाता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-6-1/90/3/49, दिनांक 30.06.1994 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे की अनुशंसा खोली नहीं जावेगी और उनके नाम पर अगली नियमित विभागीय चयन समिति में ही विचार किया जायेगा।
- (9) चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) से विशेषज्ञ (प्रथम श्रेणी) के पद पर चयन हेतु स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों के स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा वर्ष की गणना चिकित्सक द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण किये गये वर्ष के पश्चात् (उत्तीर्ण किये गये कैलेण्डर वर्ष को छोड़कर) अर्हकारी सेवा की गणना के लिये क्रमशः आगामी 02 वर्ष / 03 वर्ष को गणना में लिया जावेगा।
- (10) चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) से विशेषज्ञ (प्रथम श्रेणी) के पद पर चयन हेतु चिकित्सकों की स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सा अधिकारी के पद पर डिग्री उपरांत 02 वर्ष एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होना अनिवार्य है।

- (11) चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) से विशेषज्ञ (प्रथम श्रेणी) के पद हेतु विचार क्षेत्र में आने वाले ऐसे चिकित्सा अधिकारियों जो विषय विशेषज्ञता में डिग्री धारित करते हैं उनके विगत 02 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा ऐसे चिकित्सक जो विषय विशेषज्ञता में डिप्लोमा धारित करते हैं, विगत 03 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार किया जावेगा। अर्थात् डिग्री धारित चिकित्सा अधिकारियों के चयन अकों का समग्र मूल्यांकन 04 अंक एवं डिप्लोमा धारित चिकित्सा अधिकारियों के चयन अकों का समग्र मूल्यांकन 06 अंक निर्धारित होंगे। यदि किन्हीं वर्षों का गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो तो उसके उपलब्ध वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में से पिछले एक या दो वर्ष के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को भी विचार में लिया जावेगा।
- (12) जिन अधिकारियों का चयन आगामी पद हेतु किया जावेगा, उन्हें आदेश जारी होने के उपरांत 15 दिवस में आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जारी चयन आदेश निरस्त किया जाकर ऐसे अधिकारियों को आगामी चयन प्रक्रिया में (एक बार) विचारण में नहीं लिया जावेगा।
- (13) समय-समय पर चयन समिति आवश्यकतानुसार चयन के मापदण्ड में आवश्यक बिन्दु समावेश कर सकेगी।

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :- (गैर चिकित्सकीय संवर्ग हेतु)

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये अनुसूची -चार (ख) के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक पदोन्नति समिति गठित की जायेगी।
- (2) समिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूची चार (ख) की संबंधित पंक्ति के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से कॉलम (3) में उल्लिखित पदों के लिए, समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन:- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के उप-खण्डों के अधीन जारी किए जाए अनुदेशों का पालन किया है।
- (4) समिति ऐसे अंतरालों से बैठक करेगी जैसाकि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दे परन्तु समिति सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य करेगी।

16. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्त :-

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई पदोन्नति नीति के उपबंधों के अनुसार समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा, (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु इस नियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उनकी अर्हकारी सेवा की कालावधि पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:- संबंधित वर्ष की जिसमें विभागीय समिति आहुत की जाती है एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

17. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना:-

- (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो नियम-15 एवं 16 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति ने सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया हो। सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण विद्यमान तथा संभावित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगी।
- (3) सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम ऐसी चयन-सूची के तैयार करते समय अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिन्हें चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्पूर्ति चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।

- (4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची को गुण दोष के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा। यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

18. चयन सूची:-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (2) में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की

पदोन्नति के लिए चयन-सूची होगी। चयन सूची जब तक कि नियम 17 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किये गये किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य सन्तोषजनक नहीं पाए जाने पर सरकार द्वारा ऐसी कालावधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके उपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (4) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हों।

19. **आयोग से परामर्श:-**

समिति की अनुशंसा के संबंध में यह समझा जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 की धारा (3) की उपधारा (ख) के अनुसार आयोग के साथ परामर्श कर लिया गया है। और आयोग के साथ पृथक् से कोई परामर्श अपेक्षित नहीं है।

20. **निर्वचन :-**

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण :-**

इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती हैं, जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता हो, परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृत्ति :**

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन :-

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसको द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या
समूह "क" चिकित्सा

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग					
1	संचालक के समकक्ष पद - संचालक (05 पद) (संचालनालय), संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (1 पद)/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (3 पद)	09	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 10000 सातवें वेतनमान में लेवल - 17 (141800-214700)	
2	अपर संचालक के समकक्ष पद - अपर संचालक (03 पद) संचालनालय/ क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (07 पद) / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् (01 पद) / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ (01 पद) / संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल (01 पद)	13	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900 सातवें वेतनमान में लेवल - 16 (129700-214300)	
3	वरिष्ठ संयुक्त संचालक के समकक्ष पद - वरिष्ठ संयुक्त संचालक (24 पद) / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (52 पद)	76	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवें वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)	वरिष्ठ संयुक्त संचालक पदनाम से संचालनालय में 10 पद एवं प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 2 पद के मान से 14 पद, इस प्रकार कुल 24 पद स्वीकृत होंगे।
4	संयुक्त संचालक के समकक्ष पद - संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य) (01 पद) (संचालनालय) / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (02 पद)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01 पद) / जिला स्वास्थ्य अधिकारी (52 पद)/ जिला परिवार कल्याण अधिकारी (52 पद)/ जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी (52 पद) / जिला टीकाकरण अधिकारी (52 पद)	212	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवें वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700)	
5	उप संचालक के समकक्ष पद - उप संचालक (44) / उप संचालक दंत स्वास्थ्य (08 पद) / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी 313	365	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)	(अ) संचालनालय में उप संचालक के 20 पद, तथा प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 03 पद के मान से कुल 21 पद तथा जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर संभागीय कार्यालयों में न्यायालयीन कार्य हेतु एक एक अतिरिक्त पद (कुल 44 पद). (ब) संचालनालय में उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) का 01 पद, तथा प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 01 पद के मान से कुल 08 पद

विशेषज्ञ संवर्ग					
6	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	52	प्रथम श्रेणी	छटे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवे वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)	
7	विशेषज्ञ (3564)				
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	385	प्रथम श्रेणी	छटे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100) + 6600 ग्रेड पे सातवे वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत)	(1) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	86			(2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संचालक के पद सम्मिलित हैं।
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	648			(3) विभागीय जॉच / न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित विशेषज्ञ के पद का क्रमोन्नत/चार स्तरीय वेतनमान प्राप्त करने वाले पीजी चिकित्सक विशेषज्ञ के पद के आगामी वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, व प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे।
	(घ) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ	632	प्रथम श्रेणी	छटे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवे वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	(4) चार स्तरीय वेतनमान अंतर्गत, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति उपरान्त विशेषज्ञ निम्नानुसार पदनाम से संबोधित किये जावेंगे :-
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	126			(अ) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान - विशेषज्ञ
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	228			(ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान-वरिष्ठ विशेषज्ञ
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	516			(स) प्रवर श्रेणी वेतनमान-सलाहकार विशेषज्ञ
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	137	प्रथम श्रेणी	छटे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवे वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)प्र वर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	(द) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान- मुख्य सलाहकार विशेषज्ञ
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	98			
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	655			
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	53	प्रथम श्रेणी	छटे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900 सातवे वेतनमान में लेवल - 16	

				(129700-214300) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 05 प्रतिशत)	
8	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	88	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100) + 6600 ग्रेड पे सातवे वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत)	(1) विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशित कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
			प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवे वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	(2) विभागीय जॉच / न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने पर छानबीन समिति / चयन समिति द्वारा अनुसंशित विशेषज्ञ के पद का क्रमोन्नत / चार स्तरीय वेतनमान प्राप्त करने वाले एम0डी0एस0 दंत चिकित्सक दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के पद के आगामी वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे।
			प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवे वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)प्र वर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	(3) चार स्तरीय वेतनमान अंतर्गत, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति उपरांत दंत चिकित्सा विशेषज्ञ निम्नानुसार पदनाम से संबोधित किये जावेंगे :-
			प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400 67000)+ ग्रेड पे 8900 सातवे वेतनमान में लेवल - 16 (129700-214300) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	(अ) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान - दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान-वरिष्ठ दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (स) प्रवर श्रेणी वेतनमान-सलाहकार दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (द) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान- मुख्य सलाहकार दंत चिकित्सा विशेषज्ञ

				वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 05 प्रतिशत)	
चिकित्सक संवर्ग					
9	चिकित्सा अधिकारी (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 2 प्रतिशत)	5097	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवें वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500) छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900) छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवें वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700) छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवें वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)	(1) छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) चार स्तरीय वेतनमान अंतर्गत, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति उपरांत चिकित्सा अधिकारी निम्नानुसार पदनाम से संबोधित किये जावेगे :- (अ) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान - चिकित्सा अधिकारी (ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 (स) प्रवर श्रेणी वेतनमान- वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (द) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
10	दंत शल्य चिकित्सक (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत)	563	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवें वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500) छठे वेतनमान में पी. बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900) छठे वेतनमान में पी. बी.-3	(1) छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) चार स्तरीय वेतनमान अंतर्गत, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति उपरांत दंत शल्य चिकित्सक निम्नानुसार पदनाम से संबोधित किये जावेगे :-

	लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत)			(15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवे वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700)	जावेगे :- (अ) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान - दंत शल्य चिकित्सक (ब) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान-वरिष्ठ दंत शल्य चिकित्सक ग्रेड-2 (स) प्रवर श्रेणी वेतनमान- वरिष्ठ दंत शल्य चिकित्सक ग्रेड-1 (द) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान- प्रमुख दंत शल्य चिकित्सक
	(घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 2 प्रतिशत)		प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी. बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवे वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)	

- टिप्पण - (1) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के कुल स्वीकृत पदों में से 05 प्रतिशत पदों पर अपरिहार्य आवश्यकता की प्रशासनिक परिस्थितियों में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग के समकक्ष अधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14-01/2015/17/मेडि-1 दिनांक 16.03.2016 अनुसार राज्य शासन द्वारा विशेषज्ञ संवर्ग के चार स्तरीय वेतनमान के क्रियान्वयन में उद्भूत विसंगति के निराकरण के संबंध में वित्त विभाग की सहमति टीप क्रमांक 92/13/2016/वित्त/नियम/चार दिनांक 18.1.2016 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वेतनमान हेतु पात्र होंगे।" वेतनमान के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जावेगा।

समूह "ख" – गैर चिकित्सीय

क	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	1	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवें वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700)
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवें वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700)
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जनसांख्यिकी)	2	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन) / उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)	3	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
6	कीट विज्ञानी	5	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
7	मुख्य अभियंता (सिविल)	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवें वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवें वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
9	सांख्यिकी अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवें वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
10	वित्त अधिकारी / लेखा अधिकारी / भण्डार अधिकारी	3	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवें वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
11	प्रशासकीय अधिकारी	118	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवें वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)

12	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01/संभागीय कार्यालय 07)	8	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
13	कोल्ड चैन अधिकारी	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
14	जिला मलेरिया अधिकारी (52)/जीव शास्त्री(3)/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया) (1)	56	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
15	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक	52	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
16	प्रचार अधिकारी/संपादक	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200 सातवे वेतनमान में लेवल - 10 (42700-135100)
17	सहायक यंत्री (परिवहन)/सहायक यंत्री (भण्डार)	2	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200 सातवे वेतनमान में लेवल - 10 (42700-135100)
18	समाज विज्ञानी	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200 सातवे वेतनमान में लेवल - 10 (42700-135100)
19	प्रबंध अनुदेशक	3	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
20	सहायक यंत्री (सिविल) (1 पद संचालनालय के लिये / 7 पद प्रत्येक संभागीय कार्यालय के लिये एक-एक पद)	8	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
21	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरापिस्ट)	10	द्वितीय श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
22	उप यंत्री (सिविल) (प्रत्येक संभागीय कार्यालय के लिये दो-दो पद)	14	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 3600 सातवे वेतनमान में लेवल - 9 (36200-114800)
23	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 3600 सातवे वेतनमान में लेवल - 9 (36200-114800)
24	वरिष्ठ निज सहायक	4	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200 सातवे वेतनमान में लेवल - 10 (42700-135100)

अस्पताल प्रबंधन संवर्ग				
25	महाप्रबंधक (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर)	1	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 सातवे वेतनमान में लेवल - 15 (123100-215900)
26	प्रबंधक (500 बिस्तर अथवा अधिक क्षमता वाले प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिये 01 पद)	5	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवे वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700)
27	उप प्रबंधक, जिला चिकित्सालय (100 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले तथा 500 बिस्तर से कम प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिये 01 पद)	46	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवे वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
28	सहायक प्रबंधक (प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं सिविल अस्पताल (न्यूनतम 50 बिस्तर) प्रत्येक के लिये 01 पद (कुल पद 65))	116	द्वितीय श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)

समूह "ग" - परिचर्या सेवाएं

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)	1	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 सातवे वेतनमान में लेवल - 14 (79900-211700)
2	उप संचालक नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	7	प्रथम श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 सातवे वेतनमान में लेवल - 13 (67300-206900)
3	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	53	द्वितीय श्रेणी	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
4	प्राचार्य-लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/प्राचार्य- जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (15)	16	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
5	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-2	51	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 सातवे वेतनमान में लेवल - 12 (56100-177500)
6	प्राचार्य-एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (22)/उप प्राचार्य-जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	35	-तदैव-	छठे वेतनमान में पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200 सातवे वेतनमान में लेवल - 10 (42700-135100)

टिप्पण - (1) प्रत्येक जिले हेतु 01 पद के मान से 51 पद एवं 02 पद संचालनालय(नर्सिंग शाखा) हेतु कुल 53 पद। संचालनालय में पदस्थ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी(डी.पी.एच.एन.ओ.) को सहायक संचालक (नर्सिंग) के पदनाम से जाना जायेगा।

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका

समूह "क" चिकित्सा

अनु. क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	कॉलम (4) में दर्शाये गये पदों का प्रतिशत जो सीधी भरती / पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जायेगे			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा {नियम- 6(1)(क) देखिये}	पदोन्नति द्वारा {नियम- 6(1)(ख) देखिये}	चयन द्वारा {नियम- 6(1)(ग) देखिये}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	लोक स्वास्थ्य प्रबंधक संवर्ग						
1	संचालक के समकक्ष पद — संचालक (05 पद) (संचालनालय), संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (1 पद)/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (3 पद)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	09	—	—	100 %	—
2	अपर संचालक के समकक्ष पद — अपर संचालक (03 पद) (संचालनालय)/ क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (07 पद) / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् (01 पद) / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ (01 पद) / संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल (01 पद)	—तदैव—	13	—	—	100 %	—
3	वरिष्ठ संयुक्त संचालक के समकक्ष पद — वरिष्ठ संयुक्त संचालक (24 पद) /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (52 पद)	—तदैव—	76	—	—	100 %	—
4	संयुक्त संचालक के समकक्ष पद — संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य) (01 पद) (संचालनालय) / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (02 पद)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01 पद) / जिला	—तदैव—	212	—	—	100 %	—

	स्वास्थ्य अधिकारी (52 पद)/जिला परिवार कल्याण अधिकारी (52 पद)/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी (52 पद) / जिला टीकाकरण अधिकारी (52 पद)						
5	उप संचालक के समकक्ष पद – उप संचालक (44) / उप संचालक दंत स्वास्थ्य (08 पद) / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी 313	—तदैव—	365	—	—	100 %	—
	विशेषज्ञ संवर्ग						
6	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	—तदैव—	52	—	—	100 %	—
7	विशेषज्ञ (3564)						
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवायें – प्रथम श्रेणी	385	25 %	—	75 %	—
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	तदैव	86	25 %	—	75 %	
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	तदैव	648	25 %	—	75 %	
	(घ) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ	तदैव	632	25 %	—	75 %	
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	तदैव	126	25 %	—	75 %	
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	तदैव	228	25 %	—	75 %	
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	तदैव	516	25 %	—	75 %	
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	तदैव	137	25 %	—	75 %	
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	तदैव	98	25 %	—	75 %	
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	तदैव	655	25 %	—	75 %	
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	तदैव	53	25 %	—	75 %	
8	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	तदैव	88	25 %	—	75 %	—
	चिकित्सक संवर्ग						
9	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवायें – द्वितीय श्रेणी	5097	100 %	—	—	—
10	दंत शल्य चिकित्सक	तदैव	563	100 %	—	—	—

समूह "ख" - गैर-चिकित्सीय

अनु. क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	कॉलम (4) में दर्शाये गये पदों का प्रतिशत जो सीधी भर्ती / पदोन्नति/चयन/ अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा भरे जायेंगे				अभ्युक्ति
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम-6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1)(ख) देखिये]	चयन द्वारा [नियम-6(1)(ग) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6(1)(घ) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	1	—	100 %	—	—	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो यह पद जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	—तदैव—	1	—	100 %	—	—	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो यह पद वित्त विभाग (कोष एवं लेखा संचालनालय) से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	—तदैव—	1	—	100 %	—	—	—
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जनसांख्यिकी)	—तदैव—	2	—	100 %	—	—	—
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन) / उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)	—तदैव—	3	—	100 %	—	—	—
6	कीट विज्ञानी	—तदैव—	5	—	100 %	—	—	—
7	मुख्य अभियंता (सिविल)	—तदैव—	1	—	—	—	100 %	लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण ग्रांथिकी सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।

8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	-तदैव-	1	-	100 %	-	-	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
9	सांख्यिकी अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	7	25 %	75 %	-	-	-
10	वित्त अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	-तदैव-	3	-	100 %	-	-	-
11	प्रशासकीय अधिकारी	-तदैव-	118	25 %	75 %	-	-	-
12	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01/ संभागीय कार्यालय 07)	-तदैव-	8	-	-	-	100 %	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों से,
13	कोल्ड चेन अधिकारी	-तदैव-	1	100 %	-	-	-	-
14	जिला मलेरिया अधिकारी (52)/ जीव शास्त्री (3)/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया) (1)	-तदैव-	56	25 %	75 %	-	-	-
15	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक	-तदैव-	52	20 %	80 %	-	-	-
16	प्रचार अधिकारी/ संपादक	-तदैव-	1	-	100 %	-	-	-
17	सहायक यंत्री (परिवहन)/ सहायक यंत्री (भण्डार)	-तदैव-	2	-	100 %	-	-	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,

18	समाज विज्ञानी	-तदैव-	1	—	100 %	—	—	—
19	प्रबंध अनुदेशक	-तदैव-	3	100 %	—	—	—	—
20	सहायक यंत्री (सिविल)	-तदैव-	8	—	100 %	—	—	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है.
21	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरापिस्ट)	-तदैव-	10	—	100 %	—	—	प्रत्येक जिला चिकित्सालय (400 बिस्तर अथवा उससे अधिक क्षमता) के लिये 01 पद
22	उप यंत्री (सिविल) (प्रत्येक संभागीय कार्यालय के लिये दो-दो पद)	-तदैव-	14	100 %	—	—	—	—
23	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	-तदैव-	1	—	100 %	—	—	—
24	वरिष्ठ निज सहायक	-तदैव-	4	—	100 %	—	—	—
अस्पताल प्रबंधन संवर्ग								
25	महाप्रबंधक	प्रथम श्रेणी	1	—	100 %	—	—	—
26	प्रबंधक	-तदैव-	5	—	100 %	—	—	—
27	उप प्रबंधक	-तदैव-	46	—	75 %	—	25 %	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जा चुका हो तथा लोक स्वास्थ्य और प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन / प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि / पत्रोपाधि धारित करते हों, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे ।
28	सहायक प्रबंधक	द्वितीय श्रेणी	116	80 %	20 %	—	—	—

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु. क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	कॉलम (4) में दर्शाये गये पदों का प्रतिशत जो सीधी भर्ती / पदोन्नति/चयन/ अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा भरे जायेगे				अभ्युक्ति
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम- 6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा (नियम- 6(1)(ख) देखिये]	चयन द्वारा (नियम- 6(1)(ग) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम- 6(1)(घ) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	संयुक्त संचालक नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	01	—	100 %	—	—	—
2	उप संचालक नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	—तदैव—	07	—	100 %	—	—	—
3	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी. एच.एन.ओ.)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	53	25 %	75 %	—	—	—
4	प्राचार्य- लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/ प्राचार्य- जी.एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र (15)	—तदैव—	16	—	100 %	—	—	—
5	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-2	—तदैव—	51	—	100 %	—	—	—
6	प्राचार्य- एल.एच. व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य- महिला प्रशिक्षण केन्द्र (22)/ उप प्राचार्य- जी.एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	—तदैव—	35	—	100 %	—	—	—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता
समूह "क" चिकित्सा

अनु. क.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	विशेषज्ञ				
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी0पी0एस0 डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री / डिप्लोमा (2) म0प्र0 चिकित्सा परिषद में संबंधित विषय में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ				
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ				
	(घ) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ				
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ				
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ				
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ				
	(ज) पैथोलॉजिस्ट				
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट				
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ				
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ				
2	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री। (2) म0प्र0 राज्य दन्त चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—
3	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) एम0बी0बी0एस0 या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता। (2) म0प्र0 चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—
4	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई समतुल्य अर्हता। (2) म0प्र0 राज्य दन्त चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण अनिवार्य।	—

- टिप्पण - (1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक/दंत शल्य चिकित्सक को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विशेषज्ञ पद हेतु विभागीय अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु अन्य विभागों के अधीनस्थ पदस्थ चिकित्सक/दंत शल्य चिकित्सक को विभागाध्यक्ष कार्यालय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन/अन्य विभागों के अधीन पदस्थ चिकित्सक/दंत शल्य चिकित्सक का विशेषज्ञ/दंत चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर चयन होने की स्थिति में पूर्व धारित पद से तकनीकी त्याग-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विशेषज्ञ पद हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सक / दंत शल्य चिकित्सक को नियमानुसार पूर्व सेवा का लाभ, यदि अन्यथा नियमों के अधीन देय हो तो, नये पद पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनुमत्य किया जायेगा।"

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु- क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.ए. (सांख्यिकी), पी.एच.डी. की अधिमान्यता/स्वास्थ्य सांख्यिकी में डिप्लोमा सहित,	
2.	प्रशासकीय अधिकारी	25 वर्ष	40 वर्ष	पांच वर्ष के पर्यवेक्षी अनुभव सहित स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षण (एस.ए.एस.) में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा,	
3.	कोल्ड चैन अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	मेकेनिकल अथवा रेफ्रीजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि एक वर्ष का कार्यानुभव सहित अथवा प्रशीतन यांत्रिकी में, उपस्कर के अनुरक्षण तथा प्रशीतन प्रचालन में डिप्लोमा	
4.	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र), एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र) के साथ कीट विज्ञान को अधिमान दिया जायेगा,	
5.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक	21 वर्ष	40 वर्ष	स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा के लिये अधिमानता के साथ समाज शास्त्र में एम.ए. /भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा	
6.	प्रबंधन अनुदेशक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि, अध्यापन तथा पर्यवेक्षी, कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा,	
7.	सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रशासन अथवा सामग्री प्रबंधन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर पत्रोपाधि। (2) सामग्री प्रबंधन/ वित्त एवं लेखा प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/ पत्रोपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को अधिमान दिया जावेगा अथवा 100 या इससे अधिक बिस्तर संख्या के चिकित्सालय में प्रबंधन का 02 या इससे अधिक वर्षों के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी/पूर्व सेना अधिकारी को अधिमान दिया जावेगा।	-
8.	उप यंत्री (सिविल)	21 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/ डिप्लोमा।	

समूह "ग" परिचर्या सेवायें

अनु. क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.)	28 वर्ष	40 वर्ष	1. नर्सिंग सेवा में 10 वर्ष का अनुभव (लो.स्वा.प.क. विभाग के अधीन) 2. एम.एस.सी. नर्सिंग / बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम / लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।	

अनुसूची-चार (क)

(नियम 14 देखिए)

चयन के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय चयन समिति के सदस्य समूह "क" चिकित्सा

अनु. क्रमांक	पद का नाम, जिससे चयन किया जाना है	पद का नाम, जिस पर चयन किया जाना है	चयन के लिये अपेक्षित सेवा की कुल अवधि जिससे कि चयन किया जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हों, तथा अन्य अनुभव	विभागीय चयन समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अपर संचालक, (संचालनालय) / क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ / संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल	संचालक (संचालनालय), संचालक (राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर) / प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र नोट - कुल स्वीकृत 09 पदों में से 02 पदों पर अनुक्रमांक 01 के कॉलम 02 में उल्लेखित पदों पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद से चयनित एवं पदस्थ व्यक्तियों से।	03 वर्ष नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (Merit cum Seniority)	1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत शासन का प्रमुख सचिव - सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 4. अपर सचिव/उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
2	वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	अपर संचालक, (संचालनालय) / क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ / संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल नोट - कुल स्वीकृत 13 पदों में से 03 पदों पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ व्यक्तियों से चयन किया जावेगा।	04 वर्ष नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता (Merit cum Seniority)	1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें - सदस्य 3. अपर संचालक (वित्त) / वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य सेवायें - सदस्य 4. अपर संचालक (प्रशासन / (विज्ञापन) - सदस्य 5. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य

3	(1) संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य) / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी (2) विशेषज्ञ - (क) निश्चेतना विशेषज्ञ, (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ, (ग) मेडिकल विशेषज्ञ, (घ) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ, (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ, (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ, (ज) पैथोलॉजिस्ट, (झ) रेडियोलॉजिस्ट, (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (ठ) दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (3) चिकित्सा अधिकारी	वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोट - (अ) 25 प्रतिशत पद विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ व्यक्तियों के चयन से, शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमांक 03 के कॉलम 02 में अंकित क्रमांक (1) एवं (3) के पदों पर पदस्थ व्यक्तियों के चयन से)	(1) 06 वर्ष (2) विशेषज्ञ के पद पर 7600 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा (3) चिकित्सा अधिकारी हेतु - (अ) 7600 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा (ब) एम.डी. प्रिवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री उपरांत 03 वर्ष की सेवा, (स) उप संचालक, प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा अनुक्रमांक 03 के कॉलम 02 (1) में अंकित पदों का 02 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	तदैव
4	उप संचालक दंत स्वास्थ्य	संयुक्त संचालक दंत स्वास्थ्य	06 वर्ष नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	तदैव
5	क्षय रोग विशेषज्ञ	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	06 वर्ष नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	तदैव
6	उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी	जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी	06 वर्ष नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	तदैव

7	उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / शिशुरोग विशेषज्ञ	जिला टीकाकरण अधिकारी	(1) 06 वर्ष (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता.	तदैव
8	दंत शल्य चिकित्सक	उप संचालक दंत स्वास्थ्य	(1) 06 वर्ष (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा शासकीय संस्था से पब्लिक हेल्थ विषय में डिग्री / डिप्लोमा अथवा एम0डी0 प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री उपरांत 03 वर्ष एवं डिप्लोमा उपरांत 05 वर्ष की सेवा, नोट - (अ) दंत शल्य चिकित्सक के पद पर 5400 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा अनिवार्य, (ब) चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता.	तदैव
9	चिकित्सा अधिकारी	उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी	(1) 06 वर्ष (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा शासकीय संस्था से पब्लिक हेल्थ विषय में डिग्री अथवा एम0डी0 प्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री उपरांत 03 वर्ष अथवा पब्लिक हेल्थ विषय कम्युनिटी मेडिसिन में डिप्लोमा उपरांत	तदैव

			05 वर्ष की सेवा, नोट - (अ) चिकित्सा अधिकारी के पद पर 5400 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा अनिवार्य, (ब) चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता होगी,	
10	विशेषज्ञ (क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (घ) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (झ) रेडियोलॉजिस्ट (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (ठ) दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	विशेषज्ञ के पद पर 7600 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	-तदैव-
11	चिकित्सा अधिकारी	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (घ) स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (झ) रेडियोलॉजिस्ट (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	ऐसे चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित व न्यूनतम् वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं अथवा ऐसे चिकित्सक जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो कमोन्त वेतनमान पी0बी0 3 (15600- 39100) + 6600 ग्रेड	-तदैव-

			पे प्राप्त कर विशेषज्ञ संवर्ग में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होंगे। नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	
12	दंत शल्य चिकित्सक	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री धारित व न्यूनतम वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं अथवा ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत दंत शल्य चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो कमोन्त वेतनमान पी0बी0 3 (15600-39100) + 6600 ग्रेड पे प्राप्त कर दंत चिकित्सा विशेषज्ञ में पद रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होंगे। नोट - चयन का आधार वरिष्ठता सह योग्यता	-तदव-

- टिप्पण - (1) नियम प्रकाशन के पूर्व से विभाग में पदस्थ एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सकों हेतु नवीन प्रावधान शिथिल करते हुए, केवल एक बार के लिये पूर्व में प्रावधानित नियमों के अनुसार प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे।
- (2) शिशुरोग में डिग्री / डिप्लोमा अथवा प्रिवेन्टिव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सा अधिकारी को नवीन प्रावधान शिथिल करते हुए, केवल एक बार के लिये पूर्व में प्रावधानित नियमों के अनुसार जिला टीकाकरण अधिकारी के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे।
- (3) क्षय रोग विषय में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सा अधिकारी को नवीन प्रावधान शिथिल करते हुए, केवल एक बार के लिये पूर्व में प्रावधानित नियमों के अनुसार अधीक्षक क्षय रोग चिकित्सालय अथवा संचालक क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे।
- (4) क्रमांक (1) से (3) पर अंकित पदों पर चयन प्रक्रिया के पूर्व चिकित्सा अधिकारी से केवल एक बार के लिये विकल्प प्राप्त किया जावेगा कि वे चिकित्सक संवर्ग में अथवा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में से किस संवर्ग में चयन चाहते हैं।

अनुसूची-चार (ख)
(नियम 15, 16, 17 तथा 18 देखिए)
पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक, (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क, शिक्षा तथा माध्यम),	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य 4. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
2.	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)/ उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)	संयुक्त संचालक (योजना एवं प्रबंधन)	पाँच वर्ष	तदैव
3.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	5 वर्ष	तदैव
4.	सांख्यिकी अधिकारी	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)	5 वर्ष	तदैव

5.	प्रशासकीय अधिकारी/लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच) /उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)	5 वर्ष	तदैव
6.	जिला मलेरिया अधिकारी / जीव-शास्त्री / सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	कीट विज्ञानी	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं- सदस्य 4. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	सांख्यिकी अधिकारी	पाँच वर्ष	तदैव
8.	वरिष्ठ निज सहायक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सेवा) / भण्डार निरीक्षण अधिकारी / अधीक्षक / कनिष्ठ लेखा अधिकारी / वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय) / सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड-1 (संचालनालय) / वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / कनिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / प्रबंधक, चिकित्सा भण्डार / केम्प-समन्वयक / सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रशासकीय अधिकारी / वित्त अधिकारी / लेखा अधिकारी / भण्डार अधिकारी	1. भण्डार निरीक्षण अधिकारी / अधीक्षक / कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव 2. सहायक अधीक्षक / वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय) / सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव 3. सहायक ग्रेड-1 / वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / प्रबंधक चिकित्सा भण्डार / कनिष्ठ लेखा परीक्षक (संचालनालय) केम्प-समन्वयक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव 4. वरिष्ठ निज सहायक के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव	तदैव

			टीप- प्रशासकीय अधिकारी के 5 पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा 1 पद वरिष्ठ निज सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।	
9.	सहायक मलेरिया अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव शास्त्री/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	5 वर्ष (विज्ञान में स्नातक)	तदैव
10.	(1) उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय) (तृतीय श्रेणी सेवा) (2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक टीप- जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक के 5 पद ऐसे सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे जो समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारी है,	5 वर्ष	तदैव
11.	प्रचार सहायक/ उप संपादक (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रचार अधिकारी/संपादक	5 वर्ष	तदैव
12.	उप यंत्री (यांत्रिकी) (तृतीय श्रेणी सेवा)	सहायक यंत्री (परिवहन)/ सहायक यंत्री (भण्डार)	पाँच वर्ष	तदैव
13.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी सेवा)	समाज विज्ञानी	पाँच वर्ष	तदैव
14.	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट) तृतीय श्रेणी	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट)	1. भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट) के पद पर 5 वर्ष की सेवा 2. भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) (बी.	तदैव

			पी.टी.) 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन.	
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	5 वर्ष	तदैव
16.	सहायक यंत्री (सिविल)	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	छः वर्ष	तदैव
17.	उप यंत्री (सिविल)	सहायक यंत्री (सिविल)	(1) आठ वर्ष – (डिग्री धारक के लिये) (2) बारह वर्ष – (डिप्लोमाधारक के लिये)	तदैव
18.	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	पांच वर्ष	1. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं – सदस्य 3. संचालक – सदस्य 4. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी – सदस्य
19.	प्रबंधक	महाप्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, प्रबंधक के पद पर	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं – सदस्य 4. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी – सदस्य
20.	उप प्रबंधक	प्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, उप प्रबंधक के पद पर	—तदैव—
21.	सहायक प्रबंधक	उप प्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, सहायक प्रबंधक के पद पर	—तदैव—
22.	लिपिकीय एवं नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी (विभागीय) (तृतीय श्रेणी)	सहायक प्रबंधक	(1) 15 वर्ष की सेवा (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रशासन अथवा सामग्री प्रबंधन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर पत्रोपाधि।	—तदैव—

समूह "ग" परिचर्या सेवाएँ

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएँ, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक नर्सिंग (प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय हेतु 01 पद)	संयुक्त संचालक नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ)	पाँच वर्ष सेवा अनुभव	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ – सदस्य 4. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी – सदस्य
2.	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2/प्राचार्य-लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर/प्राचार्य—जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	उपसंचालक नर्सिंग	1. पाँच वर्ष सेवा अनुभव। 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
3	प्राचार्य—एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र/उप प्राचार्य—जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	प्राचार्य—लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर/प्राचार्य—जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	1. पाँच वर्ष सेवा अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
4	(क) प्राचार्य—एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (द्वितीय श्रेणी सेवा)/उप प्राचार्य—जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (ख) सिस्टर द्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी(डी.पी.एच. एन.ओ)	1. पाँच वर्ष सेवा अनुभव (कालम-2 में अंकित समूह 'क' के लिए)। 2. 10 वर्ष का अनुभव (कालम-2 में अंकित समूह 'ख' के लिए)। शैक्षणिक योग्यता :- एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
5	मेट्रन	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2	1. पाँच वर्ष सेवा अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव
6.	सिस्टर द्यूटर	प्राचार्य—एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर/उप प्राचार्य—जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	1. पाँच वर्ष सेवा अनुभव 2. एम.एस.सी.नर्सिंग/बी.एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/नर्सिंग से संबंधित अन्य विषयों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, उपसचिव.

No. PHFW-0049-2022-1-XVII

Bhopal, the 2nd August 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitments and service condition of the members of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services namely :-

RULES

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the **Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2022.**
 - (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".
2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires, --
 - (a) **"Appointing Authority"** means the Government or the authority empowered to make a recruitment to this services or post;
 - (b) **"Commisson"** means the Madhya Pradesh Public Service Commisson
 - (c) **"Commissioner"** means the Commissioner Health Service Madhya Pradesh;
 - (d) **"Committee"** means the Selection Committee / Departmental Promotion Committee / Screening Committee;
 - (e) **"Examination"** means a competitive Examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules;
 - (f) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;
 - (g) **"Governor"** means the Governor of Madhya Pradesh;
 - (h) **"Member of Service"** means a person appointed in a substantive capacity under the provisions of these rules or of the rules and orders in force before the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
 - (i) **"Other Backward Classes"** means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5/XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
 - (j) **"Schedule"** means the schedule appended to these rules;
 - (k) **"Scheduled Castes"** means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
 - (l) **"Scheduled Tribes"** means any tribe, tribal community or part of or group within a tribal of tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
 - (m) **"Service"** means the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services;
 - (n) **"State"** means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application** - Scope and Application:-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya pradesh Civil Service (General Conditon of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.
4. **Constitution of the Service** - The service shall consist of the following persons namely:
 - (1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;
 - (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
 - (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
5. **Classification, Scale of Pay etc.** - (1) The classification of the Service, pay scale and the number of posts included in the Service shall be as specified in Schedule-I:
 Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the Service either on permanent or temporary basis.
 - (2) No member of the Service shall be entitled to compensation in consequence of any change in the structure of the service or in the event of Government leaving unfilled or holding in abeyance a vacant post in the cadre.
6. **Method of Recruitment** - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) By direct recruitment, selection from competitive Examination or by both;
 - (b) By promotion of members of the service specified in column (2) of Schedule IV (B) {Group B non-medical and Group C nursing services};
 - (c) By selection of the members of the service specified in column (2) of Schedule IV (A) {Group "A" Medical};
 - (d) By transfer or deputation of the persons who holds in a substantive/officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the State Government.
 - (2) The number of persons recruited under clause (b) to (d) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.
 - (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be followed for the purpose of being filled during any particular period of recruitment in accordance with clauses (a) and (b) of sub-rule (1) and the method of recruitment by each The number of persons to be appointed shall, on each occasion, be determined by the Government in consultation with the Commission.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may by order issued in this behalf, prescribe.
7. **Appointment to the Service** - All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such

appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment:- In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must fulfil the following conditions, namely:-

- (a) **Age:-** The minimum age, maximum age and relaxation in maximum age limit shall be that as determined by the government as per the circular issued by the General Administration Department, from time to time.
- (b) **Educational Qualification:-** Candidates must possess educational and other qualifications as prescribed for the service / post in Schedule III;
- (c) **Fee:-** The Candidate shall have to pay the fee prescribed by the Appointing Authority/ Commission/Government, as revised from time to time.

9. Disqualification -

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held to disqualify him for appearing in the examination/selection by the Appointing Authority/Commission.
- (2) Any candidate, who got married before the prescribed minimum age for marriage shall be disqualified for appointment in the service or post.
- (3) Any candidate who has more than two living children, one of them was born after 26th January, 2001, shall be disqualified for appointment to the service or post, provided that the second child is not twin.
- (4) Any candidate who has been convicted for any offence against women shall be disqualified for appointment in the service whereas, if criminal proceedings are pending in a court, his appointment shall be kept on hold until disposal of the criminal proceedings.
- (5) Any male candidate, having more than one living wife and any female candidate who married to a person who already has a living wife, shall be disqualified for the service.
- (6) Any other reason, as prescribed by the State Government.

10. Decision regarding eligibility:- The decision of the Appointing Authority / Commission regarding the eligibility of a candidate for admission to examination / interview shall be final and no candidate who has been disqualified shall be admitted to the examination / interview.

11. Direct recruitment by competitive examination:-

- (1) A competitive examination for the recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Government, from time to time, may determine in consultation with the commission. Examination shall be conducted in accordance with the orders as issued by the Government.
- (2) According to the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 1998 for direct recruitment, posts for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are subject to reservation by the State Government from time to time. Will be kept in reserve as per the guidelines issued in this regard. Out of the available vacancies, posts will also be reserved for women candidates as per the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 1997.

- (3) In filling vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 without considering their relative position in comparison to other candidates.
- (4) If sufficient numbers of candidates belong to Scheduled castes, Scheduled Tribes candidates are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.
- (5) The Provisions for reservation for physically challenged persons as declared by the Government shall be horizontal and compartment-wise.
- (6) According to the provision issued by the General Administration Department in circular number F-07-11/2019/vk-iz-/1 dated July 02, 2019, ten percent of the number of persons required to be filled by direct recruitment will be reserved for Economically Weaker Sections (EWS).

12. List of candidates recommended by the Commission-

- (1) The commission shall prepare and forward a list to the Government arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the commission and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.
- (4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. Probation- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. Eligibility conditions and criteria for selection (appointment) on the posts of Public Health Management Cadre / Specialist Cadre / Doctor Cadre by kramonnat pay scale:-

- (1) Those officers will be eligible for selection (appointment) in the higher pay scale to the post of service mentioned in column (3) from the post held in column (2) of Schedule IV (A), who have been taken into consideration by the selection committee prescribed in column (5) of Schedule IV (A), and have completed the period of service as prescribed in column number (4) of Schedule IV (A) as on 1st January of the year to be selected.

Explanation: Method for computation of eligibility for selection - The computation of qualifying service shall be calculated in the relevant year in

which the departmental committee is convened. The period of qualifying service on 1st January shall be calculated from beginning of the calendar year in which the public servant came into the feeder cadre / part of the service / pay scale of post and shall not be calculated from the date in which he joined the cadre/ part of service/ pay scale of post. However, any junior member of the service on the basis of years of service completed by him under these rules shall not be eligible for appointment before a senior person in a higher pay scale of service.

- (2) If the Appointing Authority considers it necessary to amend the list received from the committee, then he shall intimate the proposed change to the committee and after considering the comments of the committee, if any, shall approve the list with such amendments, as he declares appropriate and justified.
- (3) The basis of selection will be as per the manner mentioned in column (4) of Schedule-IV (A), the selection list as above will be prepared keeping in view the vacancies arising for the next one year. After the approval of the selection list by the State Government, the appointment will be made on the basis of availability of posts in the higher pay scales of the service from the approved select list.
- (4) **The criteria for selection will be as follows:-**
 - (1) The officers concerned should have completed their probation period.
 - (2) The integrity of the concerned officers should be certified.
 - (3) No departmental inquiry / Lokayukta case / EOW / unauthorized absentee cases should be under consideration and no criminal case should be registered against the concerned officers.
 - (4) Officers retired / deceased / resigned before the date of selection process will not be considered for selection.
 - (5) For the selection of the class I to the class I post mentioned in schedule IV (A) on the basis of the overall evaluation of the confidential report of the previous years according to the period mentioned in column number (4) of schedule IV (A), the minimum Marks will be fixed. In case the confidential report of the desired period is not available, the confidential report of the prior one or two years can be considered.
 - (6) In the event of non-agreement on the grading of the accepting officer in the confidential reports, the committee may again take a decision to upgrade by 1 mark or downgrade by 1 mark after overall evaluation of the annual confidential reports.
 - (7) The officers whose annual confidential reports are not received at the time of consideration for selection, may be kept for circulation.
 - (8) If disciplinary proceedings / criminal cases are pending against any officer, the Committee shall, without any discrimination, keep its recommendation in a sealed cover in respect of those officers, irrespective of their disciplinary proceedings / criminal case. On completion of pending disciplinary proceedings / criminal case and if found completely free from conviction, action will be taken after opening seal cover. If any such officer is punished, then as per memorandum, no C-6-1/90/3/49, dated 30.06.1994 of General Administration Department recommendation of sealed cover will not be

opened their name will be considered in the next regular departmental selection committee.

(9) For selection to the post of Specialist (First Class) from Medical Officer (Second Class) Calculation of qualifying service duration after Post Graduate Degree / Post Graduate Diploma next 02 years / 03 years will be counted excluding the calendar year of passing Post Graduate Degree / Post Graduate Diploma.

(10) For selection to the post of Specialist (Class I) from Medical Officer (Class II), 02 years of regular service after postgraduate degree and 03 years of regular service after postgraduate diploma is mandatory.

(11) For the Medical officers (Class II) who are in the zone of consideration for the post of Specialist (Class I), Annual Confidential Report of the last 02 years will be considered for the Degree Holders in the subject specialization and Annual Confidential Report of the last 03 years will be considered for the diploma holders in the subject specialization.

The overall grading marks for selection to the Specialist posts for degree-holding medical officers will be 04 and for diploma-holding medical officers will be 06. If the Confidential Report of required years is not available, then out of the available Annual Confidential Reports, the Annual Confidential Reports of the previous one or two years will also be considered.

(12) The officers who will be selected for the next post, it will be mandatory for them to take charge at the new posting place within 15 days after the issuance of the order. Otherwise, the issued selection order will be cancelled and such officers will not be taken for consideration in the next selection process (for once).

(13) The Selection Committee may from time to time include necessary points in the criteria of selection as per the requirement.

15. Appointment by promotion - (For non-medical posts) (1) A Promotion Committee shall be constituted, consisting the members mentioned in column (5) of Schedule IV (B) for promotion of eligible members of the service.

(2) As per the instruction issued by General Administration Department from time to time the Committee Shall consider the case of all persons for the posts mentioned in column (3) of Schedule IV (B) from the posts mention in column (2) of the respective row.

(3) Certification by Appointing Authority :- Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the promotion order complies with the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and instruction under the provisions of the rules issued by General Administration Department, from time to time.

(4) The Committee Shall meet at such intervals as directed by the Appointing Authority, but the committee ordinarily shall meet at least twice in a year.

16. **Conditions for eligibility for promotions** - (1) The Committee shall consider the case of all persons in accordance with provisions of promotion policy issued by the Government from time to time, who on the 1st day of January of that year have completed the number of years (Whether officiating or substantive) of service as mentioned in column (4) of Schedule-IV (B);

Provided that no person junior in service shall be considered for promotion only on the basis of completing the Qualifying length of service prior to that of his seniors.

Explanation:- Method for computation of eligibility for promotion:- The computation of qualifying service shall be calculated in the relevant year, in which the meeting of the Committee is convened, the period of qualifying service on 1st January shall be calculated from the beginning of the calendar year in which the public servant came into the feeder cadre/ part of the service/ pay scale and shall not be calculated from the date of commencement in the cadre/part of service/ pay scale of post.

17. **Preparation of the List of the suitable candidate** -

- (1) The committee shall prepare a list of such persons who fulfil the conditions prescribed in rule 15 and 16, and are held suitable by the Committee for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the existing and anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list equivalent to 25% of anticipated vacancies shall be prepared to fulfil the unforeseen vacancies occurring, during the course of aforesaid period.
- (2) Selection for including names in such a list shall be based on merit with proper consideration of seniority and suitability in all respects.
- (3) The names of the officers included in the list shall be arranged in an order of seniority as specified in column (2) of Schedule IV (B) at the time of preparation of such select list.

Explanation : A person, whose name is included in the select list but is not promoted during the validity of the list shall have no claim to the seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year on the basis of merit. If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of the Service, the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

18. **Select list** - (1) The final selection list shall be finally approved by the Appointing Authority/ Government from the select list for promotion of the members of Service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV (B). The select list shall be valid for a period of one year unless its review or revision takes place under sub-rule (4) of rule 17, in any case the validity shall not be extended beyond a period of 18 months in total from the date of approval:

provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it thinks fit, May remove the name of such member from the select list.

- (2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the committee, then it shall intimate the proposed change to the committee and after taking into account the comments, if any, may approve the list finally with such modifications if any, as may in its opinion be just and proper.
 - (3) Every person appointed to the service by promotion shall be appointed on the probation for a period of two years. If the work is not found satisfactory in the probation period, the Government may extend the period up to one year. After this period, if the work is not found satisfactory, he may be deprived from promotion. Decision of Government in this regard shall be final.
 - (4) Appointment of the persons included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such persons appear in the select list.
19. **Consultation with the commission-** In relation to the recommendation of the committee it shall be deemed to have consulted the commission as per sub-section (b) of section (3) of the Article 320 of the constitution, and no separate consultation is required with the commission.
 20. **Interpretation** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.
 21. **Relaxation** - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be it to just and equitable:
 Provided that no case shall be dealt with any manner less, favourable to him than, that provide in these rules.
 22. **Saving** - Nothing contained in these rules, shall effect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.
 23. **Repeal** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed and in respect of matters covered by these rules.
 Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

SCHEDULE-I
(See Rules 5)
Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service
Group A-Medical

Sr. No	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Public Health Management Cadre					
1	Posts equivalent to Director : Director (05 Posts) (Directorate) / Director, State Institute of Health Management and Communication Gwalior (01 Post) / Principal, Regional, Health and Family Welfare Training Center (03 Posts)	09	Class-I	In 6 th Pay Scale PB-4 Rs (37400-67000) + Rs 10000 GP In 7th Pay Scale Level - 17 (141800-215900)	
2	Posts equivalent to Additional Director : Additional Director (03 Posts) (Directorate) / Regional Director, Health Service (07 Posts) / Director State Blood Transfusion Council (01 Post) / Additional Director, State Aids Control Society (01 Post) / Director, State Health Information, Education and Communication Bureau (01 Post)	13	Class-I	In 6 th Pay Scale PB-4 Rs (37400-67000) + Rs 8900 GP In 7th Pay Scale Level - 16 (129700-214300)	
3	Posts equivalent to Senior Joint Director : Senior Joint Director (24 Posts) / Chief Medical and health Officer (52)	76	Class-I	In 6 th Pay Scale PB-4 Rs (37400-67000) + Rs 8700 GP In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900)	10 Posts of Senoir Joint Director shall be in the Directorate & 2 Posts of Senoir Joint Director shall be in each divisional office (Total 24 Posts), thus there shall be total 24 posts of Senoir Joint Director.
4	Posts equivalent to Joint Director : Joint Director (Dental Health) (01 Post) / Superintendent Tuberculosis Hospital (02) / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal (01) / District Health Officer (52) / District Family Welfare Officer (52) / District Health and Epedamic Control Officer (52) / District Immunization Officer (52)	212	Class-I	In 6 th Pay Scale PB-3 Rs (15600-39100) + Rs 7600 GP In 7th Pay Scale Level & 14 (79900-211700)	
5	Posts equivalent to Deputy Director : Deputy Director (44) / Deputy Director (Dental Health) (08) / Chief Block Medical Officer (313)	365	Class-I	In 6 th Pay Scale PB-3 Rs (15600-39100) + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level & 13 (67300-206900)	(a) 20 Posts for Directorate, 03 posts for each divisional office, total 21 posts, and 01 additional post for Jabalpur, Indore & Gwalior divisional office for court cases. (Total Deputy Director 44 Posts) (b) 01 Posts for Directorate, and 01 posts for each divisional office (Total 08 posts of Deputy Director, Dental Health).
Specialist Cadre					
6	Civil Surgone Cum Chief Supritendent, District Hospital	52	Class-I	In 6 th Pay Scale PB-4 Rs (37400-67000) + Rs 8700 GP In 7th Pay Scale	

				Level - 15 (123100-215900)	
7	Specialist (3564)				
	(a) Anesthesia Specialist	385	Class I	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 6600 In 7th Pay Scale Level - 13 (67300-206900) Junior Grade Scale (100 %)	(1) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(b) ENT Specialist	86			
	(c) Medical Specialist	648	-Do-	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 7600 In 7th Pay Scale Level - 14 (79900-211700) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale)	(2) Posts of Regional Director are also included in sanctioned posts of Senior selection Grade.
	(d) Obstetrics and gynaecology Specialist	632			
	(e) Eye Specialist	126			
	(f) Orthopedic Specialist	228			
	(g) Paediatric Specialist	516	-Do-	In 6 th Pay Scale P.B.-4 (37400-67000) + Grade Pay 8700 In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900) Selection Grade Scale (100% after completing 6 year service in Senior Grade Scale)	(3) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, Medical officer who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale shall be entitled for post of Specialist and senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale of specialist as well.
	(h) Pathologist	137			
	(i) Radiologist	98			
	(j) Surgery Specialist	655			
	(k) TB & Chest Specialist	53	-Do-	In 6 th Pay Scale P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8900 In 7th Pay Scale Level - 16 (129700-214300) Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	(4) Under the four level pay scale, after sanction of junior grade pay scale, senior grade pay scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively specialists will be addressed by the following designations - (a) Junior Grade Pay Scale - Specialist (b) Senior Grade Pay Scale - Senior Specialist (c) Senior Grade Pay Scale - Consultant Specialist (d) Senior Senior Grade Pay Scale - Chief Consultant Specialist
8	Dental Specialist	88	Class I	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) +	(1) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of

			-Do-	Grade Pay 6600 In 7th Pay Scale Level - 13 (67300-206900) Junior Grade Scale (100 %) In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 7600 In 7th Pay Scale Level - 14 (79900-211700) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale) In 6th Pay Scale P.B.-4 (37400-67000) + Grade Pay 8700 In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900) Selection Grade Scale (100% after completing 6 year service in Senior Grade Scale) In 6th Pay Scale P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8900 In 7th Pay Scale Level - 16 (129700-214300) Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well. (2) In Case of no departmental enquiry and legal case and On the recommendation of Screening / Selection Committee, Dental Surgeon who have been sanctioned time pay scale / four tire pay scale shall be entitled for post of Dental Specialist and senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale of specialist as well. (3) Under the four level pay scale, after sanction of junior grade pay scale, senior grade pay scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively dental specialist will be addressed by the following designations:- (a) Junior Grade Pay Scale - Dental Specialist (b) Senior Grade Pay Scale- Senior Dental Specialist (c) Senior Grade Pay Scale - Consultant Dental Specialist (d) Senior Senior Grade Pay Scale – Chief Consultant Dental Specialist
Medical Officer Cadre					
9	Medical Officer (a) Junior Grade Scale (100 %)	5097	Class – II	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 5400 In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500) In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 6600	(1) On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade

	(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale) (d) # Senior Selection Grade Scale (02 % after completing 6 year service in Selection Grade Scale)		Class – I -Do- -Do-	In 7th Pay Scale Level - 13 (67300-206900) In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 7600 In 7th Pay Scale Level - 14 (79900-211700) In 6 th Pay Scale P.B.-4 (37400-67000) + Grade Pay 8700 In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900)	scale respectively for only MBBS degree holders, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well. (2) Under the four level pay scale, after sanction of junior grade pay scale, senior grade pay scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively Medical Officers will be addressed by the following designations - (a) Junior Grade Pay Scale - Medical Officer (b) Senior Grade Pay Scale- Senior Medical Officer Grade-2 (c) Senior Grade Pay Scale - Senior Medical Officer Grade-1 (d) Senior Senior Grade Pay Scale – Principal Medical Officer
10	Dental Surgeon (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade) (c) Selection Grade Scale Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior) (d) # Senior Selection Grade Scale (02 % after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	563	Class – II Class – I -Do-	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400 In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500) In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 6600 In 7th Pay Scale Level - 13 (67300-206900) In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Grade Pay 7600 In 7th Pay Scale Level - 14 (79900-211700) In 6 th Pay Scale P.B.-4 (37400-67000) + Grade Pay 8700 In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900)	(1) On the recommendation of Screening / Selection Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively for only BDS degree holders, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well. (2) Under the four level pay scale, after sanction of junior grade pay scale, senior grade pay scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively Dental Surgeon will be addressed by the following designations - (a) Junior Grade Pay Scale - Dental Surgeon

			-Do-		(b) Senior Grade Pay Scale- Senior Dental Surgeon Grade-2 (c) Senior Grade Pay Scale- Senior Dental Surgeon Grade-1 (d) Senior Senior Grade Pay Scale- Principal Dental Surgeon
--	--	--	------	--	---

Note - (1) Under administrative circumstances of unavoidable needs, Out of the total sanctioned posts of Civil Surgeon Cum Chief Supritendent, District Hospital, 05 percent posts can be filled by officers with equivalent rank of Public Health Management Cadre.

(2) # Doctors will be eligible for pay-scale According to the revised order number F 14-01/2015/17/Medi-1 dated 16.03.2016 of the Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department, which was issued to rectify the discrepancy in implementing four tire pay-scale in respect to specialist cadre by state government, by concent note no. 92/13/2016/finance/rule/4 dt 18-01-2016 of finance department." Regarding the pay scale, orders issued by the Madhya Pradesh Government, Finance Department from time to time will be followed.

Group "B" - Non Medical

Sr. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Joint Director (Mass Education and Media)	1	Class-I	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 7600 GP In 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700)
2	Joint Director (Planning and Management)	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 7600 GP In 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700)
3	Deputy Director (Health Education Bureau)	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
4	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring) / Deputy Director (Demography)	2	--do--	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
5	Deputy Director (Establishment and Administration) / Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry) / Deputy Director (Law and Legal works)	3	--do--	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
6	Entomologist	5	--do--	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
7	Chief Engineer (Civil)	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 8700 GP In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900)
8	Executive Engineer(Civil)	1	-do-	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
9	Statistical Officer	7	Class-II	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
10	Finance Officer / Accounts Officer / Store Officer	3	--do--	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
11	Administrative Officer	118	--do--	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
12	Accounts Officer (Health Quarter 01 / Divisional Office-07)	8	--do--	In 6 th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP

				In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
13	Cold Chain Officer	1	--do--	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
14	District Malaria Officer(52) / Biologist (3) / Assistant Entomologist (Malaria-Palaria) (1)	56	--do--	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
15	District Extension and Media Officer / Exhibition Officer / Communication Officer / Health Education Officer / Health Education Instructor / Social Science Instructor	52	--do--	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
16	Publicity Officer / Editor	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 4200 GP In 7th Pay Scale Level - 10 (42700-135100)
17	Assistant Engineer (Transport) / Assistant Engineer (Store)	2	--do--	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 4200 GP In 7th Pay Scale Level - 10 (42700-135100)
18	Social Scientist	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 4200 GP In 7th Pay Scale Level - 10 (42700-135100)
19	Management Instructor	3	--do--	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
20	Assistant Engineer (Civil) (1 post for Directorate, 7 post for each divisional office)	8	--do--	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
21	Senior Physiotherapist	10	--do--	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
22	Sub Engineer (Civil) (2 post for each for 7 divisional office)	14	--do--	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 3600 GP In 7th Pay Scale Level - 9 (36200-114800)
23	Senior Sanitary Officer	1	--do--	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 3600 GP In 7th Pay Scale Level - 9 (36200-114800)
24	Senior Personal Assistant	4	-Do-	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 4200 GP In 7th Pay Scale Level - 10 (42700-135100)

Hospital Management Cadre				
25	General Manager (Directorate Level)	1	Class I	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 8700 GP In 7th Pay Scale Level - 15 (123100-215900)
26	Manager (One post for each District Hospital having 500 or more beds)	5	-Do-	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 7600 GP In 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700)
27	Deputy Manager (One post for each District Hospital having 100 or more beds but less than 500)	46	-Do-	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
28	Assistant Manager (One for post each District Hospital(51 Post) & Civil Hospitals (Minimum 50 beds) (65 Posts)	116	Class II	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)

Group – "C" - Nursing Services

S. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	1	Class I	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 7600 GP In 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700)
2.	Deputy Director, Nursing (01 post for each Regional health office)	7	-Do-	In 6th Pay Scale PB-3 Rs 15600-39100 + Rs 6600 GP In 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900)
3.	District Public Health Nurse Officer	53	Class - II	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal, General Nursing Midwife Training Centre (15)	16	-Do-	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
5.	Nursing Superintendent, Grade – II	51	-Do-	In 6th Pay Scale P.B.-3 (15600-39100) + Rs. 5400 GP In 7th Pay Scale Level - 12 (56100-177500)
6.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Health Training Centre (22) / Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (12)	35	-Do-	In 6th Pay Scale PB-2 Rs 9300-34800 + Rs 4200 GP In 7th Pay Scale Level - 10 (42700-135100)

Note - One Post of District Public Health Nurse officer shall be for each district (51 post) and 2 post shall be for Nursing division of directorate of health service. Posted in directorate will be known by the post name Assistant Director (Nursing)

SCHEDULE-II
(See Rules 6)
Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service
Group A-Medical

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of posts shown in column no. 4 which will be filled by Direct Recruitment / Promotion / Selection			Remark
				By Direct Recruitment {see rule 6(1)(a)}	By Direct Promotion {see rule 6(1)(b)}	By Selection {see rule 6(1)(c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Public Health Management Cadre							
1	Posts equivalent to Director : Director (05 Posts) (Directorate) / Director, State Institute of Health Management and Communication Gwalior (01 Post) / Principal, Regional, Health and Family Welfare Training Center (03 Posts)	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services- Class I	09	-	-	100 %	-
2	Posts equivalent to Additional Director : Additional Director (03 Posts) (Directorate) / Regional Director, Health Service (07 Posts) / Director State Blood Transfusion Council (01 Post) / Additional Director, State Aids Control Society (01 Post) / Director, State Health Information, Education and Communication Bureau (01 Post)	-Do-	13	-	-	100 %	-
3	Posts equivalent to Senior Joint Director : Senior Joint Director (24 Posts) / Chief Medical and health Officer (52)	-Do-	76	-	-	100 %	-
4	Posts equivalent to Joint Director : Joint Director (Dental Health) (01 Post) / Superintendent Tuberculosis Hospital (02) / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal (01) / District Health Officer (52) / District Family Welfare Officer (52) / District Health and Epidemic Control Officer (52) / District Immunization Officer (52)	-Do-	212	-	-	100 %	-
5	Posts equivalent to Deputy Director : Deputy Director (44) / Deputy Director (Dental Health) (08) /	-Do-	365	-	-	100 %	-

	Chief Block Medical Officer (313)						
	Specialist Cadre						
6	Civil Surgeon Cum Chief Supritendent, District Hospital	-Do-	52	-	-	100 %	-
7	Specialist (3564)						
	(b) Anesthesia Specialist	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services- Class I	385	25 %	-	75 %	-
	(b) ENT Specialist	-Do-	86	25 %	-	75 %	-
	(c) Medical Specialist	-Do-	648	25 %	-	75 %	-
	(d) Obstetrics and gynaecology Specialist	-Do-	632	25 %	-	75 %	-
	(e) Eye Specialist	-Do-	126	25 %	-	75 %	-
	(f) Orthopedic Specialist	-Do-	228	25 %	-	75 %	-
	(g) Paediatric Specialist	-Do-	516	25 %	-	75 %	-
	(h) Pathologist	-Do-	137	25 %	-	75 %	-
	(ii) Radiologist	-Do-	98	25 %	-	75 %	-
	(j) Surgery Specialist	-Do-	655	25 %	-	75 %	-
	(k) TB & Chest Specialist	-Do-	53	25 %	-	75 %	-
8	Dental Specialist	-Do-	88	25 %	-	75 %	-
	Doctor Cadre						
9	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services- Class II	5097	100 %	-	-	-
10	Dental Surgeon	-Do-	563	100 %	-	-	-

Group B - Non Medical

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of posts shown in column no. 4 which will be filled by Direct Recruitment/Promotion/Selection				Remark
				By Direct Recruitment {see rule 6(1)(a)}	By Direct Promotion {see rule 6(1)(b)}	By Selection {see rule 6(1)(c)}	By Transfer of persons from other services Selection {see rule 6(1)(d)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Joint Director (Mass Education and Media)	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services- Class I	1	-	100 %	-	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the deputation from an officer of public relation Department.
2	Joint Director (Planning and Management)	-Do-	1	-	100 %	-	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the deputation from an officer of Finance Department (Directorate of Treasury and Accounts).
3	Deputy Director (Health Education Bureau)	-Do-	1	-	100 %	-	-	-
4	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	-Do-	2	-	100 %	-	-	-
5	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works)	-Do-	3	-	100 %	-	-	-
6	Entomologist	-Do-	5	-	100 %	-	-	-
7	Chief Engineer (Civil)	-Do-	1	-	-	-	100 %	The post shall be filled by Deputation from officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
8	Executive Engineer(Civil)	-Do-	1	-	100 %	-	-	If suitable candidate is not available for promotion then

								the post may be filled up by the Deputation from an officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
9	Statistical Officer	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services-Class II	7	25 %	75 %	-	-	-
10	Finance Officer/Accounts Officer/Store Officer	-Do-	3	-	100 %	-	-	-
11	Administrative Officer	-Do-	118	25 %	75 %	-	-	-
12	Accounts Officer (Health Quarter 01/ Divisional Office-07)	-Do-	8	-	-	-	100 %	By officers from madhya Pradesh Finance and Accounts Services officers
13	Cold Chain Officer	-Do-	1	100 %	-	-	-	-
14	District Malaria Officer(52)/Biologist(3)/ Assistant Entomologist (Malaria-Falaria)(1)	-Do-	56	25 %	75 %	-	-	-
15	District Extension and Media Officer/Exhibition Officer/Communication Officer/Health Education Officer/Health Education Instructor/Social Science Instructor	-Do-	52	20 %	80 %	-	-	-
16	Publicity Officer/Editor	-Do-	1	&	100 %	-	-	-
17	Assistant Engineer (Transport)/Assistant Engineer (Store)	-Do-	2	&	100 %	-	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the Deputation from an officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
18	Social Scientist	-Do-	1	-	100 %	-	-	-
19	Management Instructor	-Do-	3	100 %	-	-	-	-
20	Assistant Engineer (Civil)	-Do-	8	-	100 %	-	-	If suitable

	(1 post for Directorate, 7 post for each divisional office)							candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the Deputation from an officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
21	Senior Physiotherapist	-Do-	10	-	100 %	-	-	One Post for Each District Hospital (having 400 bed or more)
22	Sub Engineer(Civil) (2 post for each for 7 divisional office)	-Do-	14	100 %	-	-	-	-
23	Senior Sanitary Officer	-Do-	1	-	100 %	-	-	-
24	Senior Personal Assistant	-Do-	4	-	100 %	-	-	-
Hospital Management Cadre								
25	General Manager	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100 %	-	-	-
26	Manager	-Do-	5	-	100 %	-	-	-
27	Deputy Manager	-Do-	46	-	75 %	-	25 %	Those Medical Officers who have been sanctioned Senior Grade Scale and possess Post Graduate Degree or Diploma in Public Health and Management or Hospital Management/Administration course are eligible for Deputation.
28	Assistant Manager	Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare	116	80 %	20 %	-	-	-

		(Gazetted) Services- Class II						
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Group - "C" - Nursing Service

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of posts shown in column no. 4 which will be filled by Direct Recruitment/Promotion/Selection				Remark
				By Direct Recruitment {see rule 6(1)(a)}	By Direct Promotion {see rule 6(1)(b)}	By Selection {see rule 6(1)(c)}	By Transfer of persons from other services Selection {see rule 6(1)(d)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Joint Director, Nursing (Directorate of Health Services)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services- Class I	1	-	100%	-	-	-
2.	Deputy Director, Nursing (01 post of each Regional health office)	-Do-	7	-	100%	-	-	-
3.	District Public Health Nurse Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services- Class II	53	25%	75%	-	-	-
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal, General Nursing Midwife Training Centre (15)	-Do-	16	-	100%	-	-	-
5.	Nursing Superintendent, Grade - II	-Do-	51	-	100%	-	-	-
6.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Health Training Centre (22)/ Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (12)	-Do-	35	-	100%	-	-	-

Schedule-III
(See Rule 8)
Age and Qualification of persons being Directly recruited
Group 'A' Medical

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Specialist				
	(a) Anesthesia Specialist	21 years	40 years	(1) Diploma / CPS Diploma in respective specialization or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	-
	(b) ENT Specialist			or	
	(c) Medical Specialist			Post Graduate Degree in respective specialization recognised by Medical Council of India.	
	(d) Obstetrics and gynaecology Specialist			or	
	(e) Eye Specialist			Super Speciality Degree / Diploma in respective specialization recognised by Medical Council of India.	
	(f) Orthopedic Specialist			(2) Registration in MP Medical Council is compulsory.	
	(g) Paediatric Specialist				
	(h) Pathologist				
	(i) Radiologist				
	(j) Surgery Specialist				
	(k) TB & Chest Specialist				
2.	Dental Specialist	21 years	40 years	(1) Post Graduate Degree recognised by Medical Council of India.	-
				(2) Registration in MP Dental Council is compulsory.	
3.	Medical Officer	21 years	40 years	(1) MBBS or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	-
				(2) Registration in MP Medical Council is compulsory.	
4.	Dental Surgeon	21 years	40 years	(1) BDS Degree or any equivalent degree from a recognised university.	-
				(2) Registration in MP Dental Council is compulsory.	

- Note - 1. The doctor / dental surgeon working under the Public Health and Family Welfare Department will not require departmental no-objection certificate for the post of specialist advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission. But the doctor / dental surgeon posted under other departments will be required to submit a no-objection certificate from the Head of Department's office.
2. In the event of selection for the post of specialist / dental specialist of a doctor / dental surgeon posted under the Public Health and Family Welfare Department / under other departments, it will be mandatory to submit a technical resignation from the previously held post.
3. For the post of specialist advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission, the benefit of previous service to a doctor/dental surgeon working under the Public Health and Family Welfare Department as per rules, if otherwise payable under the rules, will be allowed for the purpose of fixation of pay on the new post.'

Group 'B' Non Medical

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Statistical Officer	21 years	40 years	M.A. (Statistics) Preferably Ph. D/ with Diploma in Health Statistics	
2.	Administrative Officer	25 years	40 years	Graduate with 5 years supervisory experience and accounts trained, Preference will be given to SAS qualified persons.	
3.	Cold Chain Officer	21 years	40 years	A University Degree in Mechanical or Refrigeration Engineering with one year experience or Diploma in Refrigeration Engineering in maintenance and operation of Refrigeration equipments.	
4.	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Filaria)	21 years	40 years	M.Sc. (Zoology) M.Sc. (Zoology) preference will be given to M.Sc. (Entomology)	
5.	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor	21 years	40 years	M.A. in Sociology with preference for diploma in Health Education/ Diploma in Journalism from Indian Institute of Mass Communication.	
6.	Management Instructor	21 years	40 years	Master Degree in Public Administration/ Business Administration from recognised University, Preference will be given to candidates having teaching and supervisory experience.	
7.	Assistant Manager	21 years	40 years	(1) Post Graduation Degree/Post Graduation Diploma from a recognized university in - Public Health Management. or Hospital Management. or Hospital Administration or Materials management. (2) Preference shall be given to candidates having Post Graduate degree/diploma in materials management/Finance & Accounts Management. Or Preference shall be given to candidates/ex-army personnel having 02 or more years of experience of administration of hospital of 100 or more beds.	
8.	Sub Engineer (Civil)	21 years	40 years	Degree / Diploma in Civil Engineering from an institution recognized by the State Government.	

Group - "C" - Nursing Services

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	District Public Health Nurse Officer	28 years	40 years	1. Ten years experience in Nursing Services (Under the Public Health and Family Welfare department) 2. M.Sc. Nursing / B.Sc. Nursing with Degree or Diploma of Hospital Management and Administration or Post Graduate diploma in Public health management by a regular course.	-

SCHEDULE-IV (A)
(See rule 14)
SERVICE EXPERIENCE FOR SELECTION AND MEMBER OF SELECTION COMMITTEE
Group 'A' Medical

Sr. No.	Name of post from which selection is to be done	Name of post on which Selection is to be done	Essential qualification, if any, and other experience of the post from which selection is to be done	Members of the Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Additional Director (Directorate) / Regional Director, Health Service / Director state Blood Transfusion Council / Additional Director, State Aids Control Society / Director, State Health and Information. Education and Communication Bureau	Director (Directorate) / Director, State Institute of Health Management and Communication Gwalior / Principal, Regional, Health and Family Welfare Training Center Note:- Out of total 09 posts, 02 post will be filled by person working on post as described in S.no. 01, column 02 after selection from Civil Surgeon cum Chief Supritendent, District Hospital.	03 Years Note:- Basis of Selection (Merit cum Seniority)	1. Chief Secretary-Chairman 2. A senior Additional Chief Secretary/Principal Secretary of Government nominated by the Chief Secretary -Member 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Public Health and Family Welfare Department-Member 4. Additional Secretary/ Deputy Secretary. Public Health and Family Welfare Department-Member
2	Senior Joint Director / Chief Medical and health Officer / Civil Surgeon cum Chief Supritendent, District Hospital.	Additional Director (Directorate) / Regional Director, Health Service / Director state Blood Transfusion Council / Additional Director, State Aids Control Society / Director, State Health and Information. Education and Communication Bureau Note:- Out of total 13 posts, 03 posts will be filled by officers working on Civil Surgeon cum Chief Supritendent, District Hospital.	04 Years Note:- Basis of Selection (Merit cum Seniority)	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary / Secretary Public Health and Family Welfare Department - Chairman 2. Health Commissioner - Member 3. Additional Director (Finance) / Financial Advisor, Public Health and Family Welfare Department - Member 4. Additional Director (Administration / Gazatted), Public Health and Family Welfare Department - Member 5. A member of Scheduled Cast / Scheduled Tribe nominated by Chairman - Member.
3	(1) Joint Director (Dental Health) / Superintendent Tuberculosis Hospital / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal / District Health Officer / District Family Welfare Officer/ District Health and Epedamic Control Officer /	Senior Joint Director / Chief Medical and health Note:- (A) 25 percent from the selection of persons posted on the post of specialist. the remaining 75 percent from the selection of persons posted on the	(1) 06 years (2) For specialist who have worked in G.P. 7600/- for 6 years (3) For Medical Officers Essential :- (a) Medical Officer who have worked in G.P. 7600/- for 6	-Do-

	District Immunization Officer (2) Specialist (a) Anesthesia Specialist, (b) ENT Specialist, (c) Medical Specialist, (d) Obstetrics and gynaecology Specialist, (e) Eye Specialist, (f) Orthopedic Specialist, (g) Paediatric Specialist, (h) Pathologist, (i) Radiologist, (j) Surgery Specialist, (k) TB & Chest Specialist, (l) Dental Specialist (3) Medical Officer	posts of serial numbers (1) and (3) in column 02 of Serial number 03.	years (b) 03 years service after MD (Preventive & Social Medicine). (c) 02 years of working experience of posts of Deputy Director / Chief Block Medical Officer or posts mentioned in column 02 (1) of S.no. 03. Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	
4	Deputy Director (Dental Health)	Joint Director (Dental Health)	06 Years Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
5	TB & Chest Specialist	Superintendent Tuberculosis Hospital / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal	06 Years Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
6	Deputy Director / Chief Block Medical Officer	District Health Officer / District Family Welfare Officer / District Health and Epidemic Control Officer	06 Years Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
7	Deputy Director / Chief Block Medical Officer / Paediatric Specialist	District Immunization Officer	(1) 06 years (2) Post-graduate degree in Preventive and Social Medicine is mandatory for Deputy Director and Chief Block Medical Officer. Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
8	Dental Surgeon	Deputy Director (Dental Health)	(1) 06 years (2) Degree/Diploma in Public Health subject / Preventive and Social Medicine from a government institution / from a recognized university (03 years after degree in and 05 years of service after diploma).	-Do-

			Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	
9	Medical Officer	Deputy Director / Chief Block Medical Officer	(1) 06 years (2) Degree / Diploma in Public Health subject / Preventive and Social Medicine from a government institution / from a recognized university (03 years after degree in and 05 years of service after diploma). Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
10	Specialist (a) Anesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f) Orthopedic Specialist (g) Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) TB & Chest Specialist (l) Dental Specialist	Civil Surgeon cum Chief Supritendent, District Hospital.	06 years of service in 7600/- G.P as specialist Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
11	Medical Officer	(a) Anesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f) Orthopedic Specialist (g) Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) TB & Chest Specialist	Such doctors who have held postgraduate degree / postgraduate diploma and have obtained minimum senior grade pay scale or such doctors who have completed 02 years regular service in the post of doctor after postgraduate degree or 03 years after postgraduate diploma, will get upgraded pay scale PB-3 (15600- 39100) + 6600 and will be eligible for selection as per vacancy in specialist cadre by getting grade pay. Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	-Do-
12	Dental Surgeon	Dental Specialist	Such dental surgeons who have held a postgraduate degree and have obtained	-Do-

			minimum senior grade scale or such dental surgeons who have completed 02 years regular service in the post of dental surgeon after master's degree, in the upgraded pay scale (15600- 39100) + 6600 and will be eligible for selection as per vacancy on the post of Dental Specialist cadre by getting grade pay. Note:- Selection by (Seniority cum Merit)	
--	--	--	--	--

Note - (1) Before the publication of the rules, MBBS Doctors posted in the department, will be eligible for selection to the post of Chief Block Medical Officer / District Health Officer / District Family Welfare Officer / District Health and Epidemic Control Officer / District Immunization Officer for one time only, relaxing the new provision.

(2) Medical officers having degree/diploma in pediatrics or degree/diploma in preventive and social medicine will be eligible for selection to the post of District Immunization Officer as per the rules provided earlier, for one time only, relaxing the new provision.

(3) By adding new provisions to the Medical Officer having degree/diploma in the subject of Tuberculosis, only one time will be eligible for selection to the post of Superintendent Tuberculosis Hospital or Director Tuberculosis Demonstration and Training Center Bhopal as per the rules provided earlier.

(4) Before the selection process on the posts mentioned at serial number (1) to (3), option will be obtained from the Medical Officer for only one time as to which cadre he wants to be selected, in the medical cadre or in the Public Health Management cadre.

SCHEDULE-IV (B)
(See rule 15, 16, 17 and 18)
SERVICE EXPERIENCE FOR PROMOTION AND MEMBER OF PROMOTION COMMITTEE
Group 'B' Non Medical

Sr. No.	Name of post or Service from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Essential Qualification, if any, and other experience of the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Department Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director (Health Education Bureau)	Joint Director (Mass Education and Media)	5 years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member 4. One officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes -Member
2.	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works) / Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Joint Director (Planning and Management)	5 years	----Do----
3.	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor	Deputy Director, Health Services (Health Education Bureau)	5 years	----Do----
4.	Statistical Officer	Deputy Director] (Planning, Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	5 years	----Do----
5.	Administrative Officer/ Accounts Officer/ Store Officer	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and	5 years	----Do----

		Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal Works)		
6.	District Malaria Officer/ Biologist/ Assistant Entomologist (Malaria Filaria)	Entomologist	5 years	----Do----
7.	Assistant Statistical Officer (Class III Service)	Statistical Officer	5 years	----Do----
8.	Store Inspection Officer/ Superintendent / Junior Account Officer/ Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Superintendent/ Assistant Grade-I(Directorate)/ Senior Auditor (Divisional)/Junior Auditor (Directorate). Manager Medical Store/ Camp Co-ordinator/ Assistant Statical Officer/ Senior Personnel Assistant (Class III Service)	Administrative Officer/ Finance Officer / Accounts Officer/ Store Officer	1.5 year experience on the post of Store Inspection Officer/ Superintendent/ Junior Accounts Officer 2. 5 years experience on the post of Assistant Superintendent / Senior Auditor (Directorate) /Assistant Statical Officer 3. 5 years experience on the post of Assistant Grade-I/ Senior Auditor (Divisional)/ Manager Medical Store/ Junior Auditor (Directorate) Camp Coordinator. 4. 5 years experience as Senior Personnel Assistant. Note- 5 Post of Administrative Officer shall be filled by promotion of Assistant Statical Officer and 1 post shall be filled by the promotion of Senior Personnel Assistant.	----Do----
9.	Assistant Malaria Officer (Class III Service)	District Malaria Officer / Biologist / Assistant Entomologist (Malaria-Filaria)	5 years (Graduate in Science)	----Do----
10.	(1) Deputy District Extension and Media Officer/ Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/ Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination) (2) Assistant Statical Officer	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor Note:- 5 Post of District extension and Media Officer/ Exhibition Officer Communication Officer / Health Education Instructor/	5 years	----Do----

		Social Science Instructor shall be filled by promotion of Assistant Statical Officer, who hold post graduate degree in Sociology.		
11.	Publicity Assistant/ Sub Editor (Class III Service)	Publicity Officer/ Editor	5 years	----Do----
12.	Sub-Engineer Technical (Class-III Service)	Assistant Engineer Transport/ Assistant Engineer (Stores)	5 years	----Do----
13.	Medico Social Worker (Class-III Service)	Social Scientist	5 years	----Do----
14.	Physiotherapist (Class Three Service)	Senior Physiotherapist	1. 5 Years service on the Post of Physiotherapist 2. Bachelor of Physiotherapy. (BPT) 3. Registration in Madhya Pradesh Paramedical Council.	----Do----
15.	Community Health Officer (Class-III Service)	Senior Sanitary Officer	5 years	----Do----
16.	Assistant Engineer (Civil)	Executive Engineer (Civil)	Six years	----Do----
17.	Sub Engineer (Civil)	Assistant Engineer (Civil)	(1) Eight years experience (for Degree holder) (2) Twelve years experience (for Diploma holder)	----Do----
18.	Personnel Assistant	Senior Personnel Assistant	5 years	1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Chairman 2. Commissioner, Health Services - Member 3. Director - Member 4. One officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes -Member
19.	Manager	General Manager	5 year's Service on the post of Manager	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member 4. One officer of same status of Scheduled

				Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes -Member
20.	Deputy Manager	Manager	5 year's Service on the post of Deputy Manager	----Do----
21.	Assistant Manager	Deputy Manager	5 years Service on the post of Assistant Manager	----Do----
21.	Clerical and Nursing Cadre Employees (Departmental) (Class III)	Assistant Manager	(1) 15 years Service (2) Post Graduation Degree / Post Graduation Diploma from a recognized university in - Public Health Management. or Hospital Management. or Hospital Administration or Materials management.	----Do----

Group - "C" - Nursing Services

S.N.	Name of The post or Service from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Essential qualification, if any and other experience of the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
1.	Deputy Director Nursing, (01 post for each regional level)	Joint Director, Nursing, Directorate Health Services	5 years experience	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member 4. One officer of same status of Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes - Member
2.	District Public Health Nurse / Nursing Supritendent Grade-2 / Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior / Principal, GNM Training Centre	Deputy Director Nursing, (Division level)	1. 5 years experience on the present post 2. MSc. nursing / B.Sc. Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing / Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	-Do-
3	Principal, Lady Health Visitor Training Centre / Principal, Female Health Worker Training Centre (II Class) / Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior / Principal General Nursing Midwife Training Centre	1. 5 years experience on the present post 2. MSc. nursing / B.Sc. Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing/ Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	----Do----
4	(a) Principal, Lady Health Visitor training Centre / Principal, Female Health Training	District Public Health Nurse Officer	1. 5 years experience on the present post (for category 'a' of column no 2) 2. 10 years experience (for category 'b' of column no 2)	----Do----

	Centre (Class II) / Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (b) Sister tutor (Class III)		<u>Educational Qualification-</u> MSc. nursing / B.Sc. Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing / Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	
5	Matron	Nursing Superintendent (Class II)	1.5 years experience on the present post 2. MSc. nursing / B.Sc. Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing / Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---
6	Sister Tutor	Principal, Lady Health Visitor Training Centre / Principal, Female Health Worker Training Centre / Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre	1. 5 years experience on the present post 2. MSc. nursing / B.Sc. Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing / Post Graduate Diploma in any other Nursing Subject.	---Do---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BASANT KURRE, Dy. Secy.